International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 688-691

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर का अध्ययन

डॉ. अरुण कुमार ओझा

प्राचार्य, वैष्णवी शिक्षा महाविद्यालय, घुरेहटी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर का अध्ययन पर आधारित है। संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21–क,ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छः से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक विद्यालय, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि शोध क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र का नामांकन दर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र में इस अभियान के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

शब्द कुंजी : शिक्षा के अधिकार, प्रभाव, शहरी एवं ग्रामीण, प्रारंभिक शिक्षा

प्रस्तावना

शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धरा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है। चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है। व्यक्ति को संस्कारित करती है, जो आदमी को आदमी बनाती है, वही सही अर्थ मे शिक्षा है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा वह साधन है, जो व्यक्ति के आन्तरिक गुणों को प्रखर करती है, उसमें जो अन्तर्निहित शक्तियाँ हैं, उनको विकसित करती है।

शिक्षा शास्त्री प्लेटो के अनुसार– ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करती है।''

शिक्षा एक ऐसा तंत्र है, जिससे बालक जन्म से लेकर अन्त तक सीखता रहता है, इसके द्वारा बालक न केवल अपनी शक्तियों का विकास करता है बल्कि आवश्यकता के अनुसार भौतिक सामाजिक, राजनीतिक एवं वातावरण के अनुकूल ही अपने को बनाता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति मे अन्तर्निहित भावनाओं को प्रकट कर उसके स्वरूप को प्रकाशित करती हैं वस्तुतः शिक्षा के सहयोग से मानव का सर्वागीण विकास संभव है। शिक्षा राष्ट्र का मेरूदण्ड है।

86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार के तहत मूलभूत अधिकारों में शिक्षा के अधिकारों को जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद "21क" शिक्षा का अधिकार–राज्य, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्यनिधि द्वारा, अवधारित करें, उपवंध करेंगा। संविधान में निहित शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए, शासन तथा स्थानीय निकाय के दायित्व, शिक्षकों के संबंध में प्रावधान, शाला के संबंध में अनेक प्रावधान निर्धारित किये गये हैं।

आरटीई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान है

- किसी पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार
- यह स्पष्ट करता है कि अनिवाय शिक्षा का तात्पर्य छः से चौदह आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा।
- यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों कर्त्तव्यों और दायित्वों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है।
- यह अन्यों के साथ–साथ, छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदण्डों और मानकों को निर्धारित करता है।
- यह राज्य या जिले अथवा विकासखण्ड के लिए केवल औसत की बजाए प्रत्येक विद्यालय के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है, इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी–ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह दसवर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर–शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है।

2. शोध की आवश्यकता एवं महत्व

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र में शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर का आकंलन किया गया तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये गये जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर शैक्षिक सूचकों व लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से विकसित करने में समर्थ हो सकता है। चूंकि हमारे देश में सन् 2010 तक प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सकल नामांकन, शालात्यागी दर मे कमी तथा न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने का संकल्प लिया था। अतः इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की दिशा में इस शोधकार्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

शिक्षा हेतु इन योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन पर आधारित इस शोध कार्य का महत्व निम्नलिखित है–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से शहरी क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि हो सकेगी।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि हो सकेगी।

3. उद्देश्य

किसी भी शैक्षिक शोध के कुछ निश्चित बिन्दु होते हैं, जिनको प्राप्त करने की दिशा मे शोध उन्मुख होता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य यह है कि जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर की वास्तविक स्थित का अध्ययन करना तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर इस विशेष अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रभाव की वास्तविकता को प्रकट कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य पूर्ति में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है :–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से शहरी क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि का आंकलन हो सकेगा।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि का आंकलन हो सकेगा।

4. परिकल्पनाएँ

शोध कार्य में परिकल्पना प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है, जिससे समस्या समाधान को उचित दिशा मिलती है। विज्ञान में एक ही परिकल्पना को लेकर उसका परीक्षण करते हैं, किन्तु शैक्षिक अनुसंधान में अनेक परिकल्पनायें लेते हैं और प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते हैं। अतः परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है जैसे–

जान डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार – "परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है, जो आगे शोध कार्यों को निर्देशन देता है।"[1]

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् हैः

1. शोध क्षेत्र में इस अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. परिसीमांकन

शोध हेतु रीवा जिले की राजस्व सीमा के प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालय के छात्र–छात्राओं का चयन दैव निर्देशन विधि द्वारा किया गया है।

6. न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। जिले के सभी 9 विकासखण्डों से 5–5 विद्यालय कुल 45 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन द्वारा अध्ययन हेतु लिया गया। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

7. शोध विधि

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन के विधिवत सम्पादन के लिए अभिलेख अध्ययन विधि का चयन किया गया है–

अभिलेख अध्ययन विधि : शोध कार्य के तथ्यपूर्ण उपलब्धि के लिए अभिलेख अध्ययन विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। अभिलेख अध्ययन से तात्पर्य, शोध समस्या से सम्बंधित उन समस्त अभिलेखों, पुस्तकों, ज्ञान कोषों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, शोध–पत्रों प्रकाशित व अप्रकाशित शोध प्रबंधों से है, जिनके अध्ययन से शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है।

8. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से कुमार, डॉ. संजय (2009)[1], पाठक, पी.डी. एवं मंगल, एस.के. (2013)[2], पंकज तिलकराज (2005)[3], सिंह, शिव प्रकाश (2007)[4] एवं सिद्दीकी, एस.ए. (2004)[5] ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये है।

9. शोध उपकरण

शाला अभिलेख–पत्रक : शाला अभिलेख पत्रक द्वारा विद्यालय की सामान्य जानकारी, शिक्षकों के कुल पद, विद्यालय में छात्रों के नामांकन, शालात्यागी छात्रों एवं विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से सम्बंधित प्रश्नों द्वारा संकलन किया गया है।

10. शोध क्षेत्र का परिचय

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा

का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

11. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयेाग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना – "शोध क्षेत्र में इस अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।"

सारणी 1: शोध क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में षिक्षा अधिकार अधिनियम के कारण प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र.	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित छात्र संख्या A	नवीन नामांकित छात्र संख्या B	प्रतिशत	वृद्धि दर = A-B	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2006-07	45	6750	874	12.95	5876	14.87	-
2.	2007-08	45	6878	890	12.94	5988	14.86	-0.01
3.	2008-09	45	6893	914	13.26	5979	15.29	0.42
4.	2009-10	45	6914	933	13.49	5981	15.60	0.31
5.	2010-11	45	6977	978	14.02	5999	16.30	0.70
6.	2011-12	45	7011	1002	14.29	6009	16.67	0.37
7.	2012-13	45	7055	1030	14.60	6025	17.10	0.42

विश्लेषण एवं व्याख्या : उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2006–07 में छात्रों के नामांकन में वृद्धि दर 14.87 प्रतिशत, सत्र 2007–08 में 14.86 प्रतिशत, सत्र 2008–09 में 15.29 प्रतिशत, सत्र 2009–10 में 15.60 प्रतिशत, सत्र 2010–11 में 16.30 प्रतिशत, सत्र 2011–12 में 16.67 प्रतिशत एवं सत्र 2012–13 में 17.10 प्रतिशत वृद्धि में अन्तर है।

सारणी 2: शोध क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कारण प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र.	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित छात्र संख्या A	नवीन नामांकित छात्र संख्या B	प्रतिशत	वृद्धि दर = A-B	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2006-07	45	6812	865	12.70	5947	14.55	-
2.	2007-08	45	6866	894	13.02	5972	14.97	0.42
3.	2008-09	45	6898	912	13.22	5986	15.24	0.27
4.	2009-10	45	6923	936	13.52	5987	15.63	0.40
5.	2010-11	45	6952	954	13.72	5998	15.91	0.27
6.	2011-12	45	6988	977	13.98	6011	16.25	0.35
7.	2012-13	45	7011	1002	14.29	6009	16.67	0.42

विश्लेषण एवं व्याख्या : उपरोक्त सारणी क्रमांक – 2 से स्पष्ट होता है कि षिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सत्र 2006–07 में छात्रों के नामांकन में वृद्धि दर 14.55 प्रतिशत, सत्र 2007–08 में 14.97 प्रतिशत, सत्र 2008–09 में 15.24 प्रतिशत, सत्र 2009–10 में 15.63 प्रतिशत, सत्र 2010–11 में 15.91 प्रतिशत, सत्र 2011–12 में 16.25 प्रतिशत एवं सत्र 2012–13 में 16.67 प्रतिशत वृद्धि में अन्तर है।

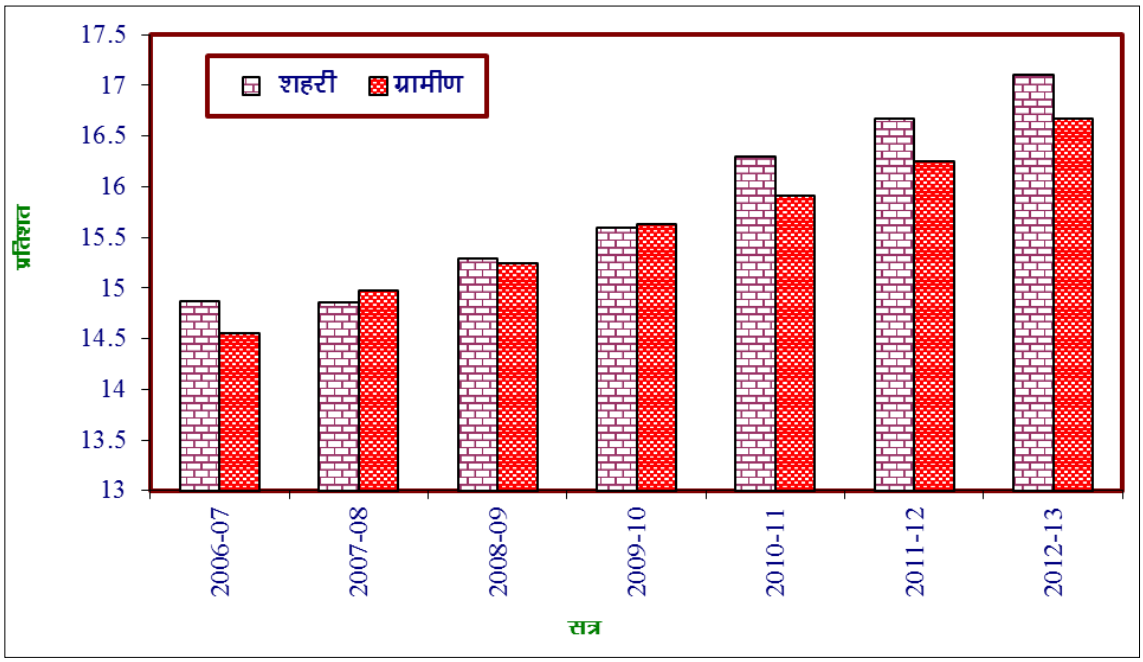

आरेख क्र. 1: शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कारण प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

इस प्रकार सारणी क्रमांक – 1 एवं 2 के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र का नामांकन दर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अन्तर नही है।
अतः शोधार्थी द्वारा परिकल्पित परिकल्पना सत्यापित होती है।

12. निष्कर्ष

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि शोध क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र का नामांकन दर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र में इस अभियान के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

13. संदर्भ

1. कुमार, डॉ. संजय (2009), 'सर्व शिक्षा अभियान' अल्फा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
2. पाठक, पी.डी. एवं मंगल, एस.के. (2013) अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन्स.
3. पंकज तिलकराज (2005) सर्वशिक्षा अभियान एवं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, प्राथमिक शिक्षक एन.सी.ई.आर. टी. की त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष 30, अंक +2, पृ0 35–39।
4. सिंह, शिव प्रकाश (2007) भारत में 'सभी के लिये शिक्षा' अभियानः मिथक या वास्तविकता, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका प्रकाशक एवं मुद्रक महेन्द्र जैन, आगरा, पृ0 1878–1879।
5. सिद्दीकी, एस.ए. (2004) मध्यप्रदेश संपूर्ण अध्ययन, उपकार प्रकाशन, आगरा।